

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) वधीयक, 2023

प्रलिमिस के लिये:

भारत का चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का अनुच्छेद 324

मेन्स के लिये:

मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिये प्रस्तावित वधीयक, इसका महत्व और संबंधित चिताएँ

स्रोत: द हड्डि

चर्चा में क्यों?

राज्यसभा ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यालय की अवधि) वधीयक, 2023 को मंजूरी दे दी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्तिकी प्रक्रयियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।

- इस कानून का उद्देश्य अनुप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले, 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक निरिदेश के प्रत्युत्तर में नियुक्ति प्रक्रयिया में पारदर्शिता लाना है।

CEC और EC की नियुक्तिपर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है?

- मार्च 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने CEC और EC की नियुक्तिके संबंध में संविधान के अंगीकरण के उपरांत एक लंबे समय से चले आ रहे विधायी अंतर को समाप्त करते हुए, स्वतंत्र एवं निषिक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में भारत के स्वतंत्र निरिवाचन आयोग (ECI) की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन करने वाले अन्य संस्थानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जिनके पास अपने प्रमुखों/सदस्यों की नियुक्तिके लिये स्वतंत्र तंत्र हैं।
 - राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण बयुरो (CBI), सुचना आयोग और लोकपाल जैसे उदाहरणों का उल्लेख किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव सुधार पर दनिश गोस्वामी समति (1990) और चुनाव सुधार पर विधिआयोग की 255वीं रपोर्ट (2015) की सफिरशियों पर गौर किया।
 - दोनों समतियों ने CEC और EC की नियुक्तिके लिये प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और विधिक्ष के नेता की एक समतिका सुझाव दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए (कसी भी मामले में 'पूरण न्याय' हेतु निरिदेश जारी करने के लिये) निधारति किया कि CEC और EC की नियुक्तिप्रधानमंत्री, CJI और नेता की एक समतिया लोकसभा में सबसे बड़े विधिकी दल द्वारा की जाएगी।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति सुनाया कि यह तंत्र तब तक लागू रहेगा जब तक संसद इस मामले पर कानून नहीं बना देती।

वधीयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- यह वधीयक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधनियम, 1991 का स्थान लेता है।
- यह CEC और ECs की नियुक्ति, वेतन एवं निषिकासन से संबंधित है।
 - नियुक्तिप्रक्रयि:**
 - CEC और EC की नियुक्तिचयन समतिकी सफिरशि पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
 - सदस्य के रूप में लोकसभा में विधिक्ष का नेता, यदि लोकसभा में विधिक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है, तो

- लोकसभा में सबसे बड़े विधिकी दल का नेता शामिल होगा।
- इस समतिमें कोई पद रक्खित होने पर भी चयन समतिकी सफिरशी मान्य होंगी।
 - विधिक में CEC और EC के पदों पर विचार करने के लिये पाँच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने हेतु एक खोज समति (Search Committee) की स्थापना का प्रस्ताव है।
 - खोज समतिकी अध्यक्षता [कंबिट सचिव](#) करेंगे और इसमें सचिव के पद से नियन्त्रित वाले दो सदस्य भी शामिल होंगे जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान तथा अनुभव होगा।
 - वेतन एवं शर्तों में परविरतन:
 - CEC और ECs का वेतन एवं सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगी।
 - हटाने/निषिकासन की प्रक्रिया:
 - यह बलि संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 324 (5)) को बरकरार रखता है जो CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह निषिकासन की अनुमति देता है, जबकि EC को केवल CEC की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है।
 - CEC और EC के लिये संरक्षण:
 - बलि, CEC और EC को उनके कार्यकाल के दौरान की गई कार्रवाई से संबंधित कानूनी कार्रवाही से बचाता है, बशर्ते कि इस तरह की कार्रवाई आधिकारिक करतव्यों के निवेदन में की गई हो।
 - संशोधन का उद्देश्य इन अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यों से संबंधित सविलिया आपाराधिक कार्रवाही से बचाव करना है।

वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त कसि प्रकार नियुक्त किये जाते हैं?

- संवैधानिक प्रावधान:
 - संवैधानिक भाग XV (चुनाव) में सरिफ 5 अनुच्छेद (324-329) है।
 - संवैधानिक CEC और EC की नियुक्तिकी लिये एक विशिष्ट विधायी प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।
 - संवैधानिक अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की ऐसी संख्या, यदि कोई हो, से मिलकर बने चुनाव आयोग में 'चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण एवं नियंत्रण' नियंत्रण करता है, जिसे राष्ट्रपति समय-समय पर तय करें।
 - राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले संघ पराषिद की सलाह पर इनकी नियुक्ति करते हैं।
 - विधि भंतरी विचार के लिये प्रधानमंत्री को उपयुक्त उम्मीदवारों के एक नियम का सुझाव देते हैं। राष्ट्रपति PM की सलाह पर नियुक्ति करते हैं।
- निषिकासन:
 - वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी उन्हें हटाया जा सकता है।
 - CEC को केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान निषिकासन की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
 - CEC की अनुशंसा को छोड़कर कर्सी भी अन्य EC की निषिकासन नहीं किया जा सकता है।

विधियक से संबंधित चतिएँ क्या हैं?

- पारदर्शनी और स्वतंत्रता:
 - रक्खित होने पर भी चयन/प्रवरण समतिकी अनुशंसाओं को मान्य रखने से कुछ परस्थितियों के दौरान सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का एकाधिकार हो सकता है, जिससे समतिकी विधिता एवं स्वतंत्रता कमज़ोर हो सकती है।
- न्यायिक बैंचमारक से कार्यपालका नियंत्रण में परविरतन:
 - CEC तथा EC के वेतन को मंत्रमिंडल सचिव के समान करना, जिनका वेतन कार्यपालका द्वारा निर्धारित किया जाता है, संभावित सरकारी प्रभाव के बारे में सवाल उठाता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के विपरीत, जो संसद के एक अधिनियम द्वारा तय किया जाता है, यह उक्त प्रविरतन निवाचन आयोग की वित्तीय स्वतंत्रता को संकट में डाल सकता है।
- सविलि सेवकों के लिये पात्रता सीमति करना:
 - केवल सरकार के सचिव के समकक्ष पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिये पात्रता को सीमति करने से संभावित रूप से योग्य उम्मीदवार बाहर हो सकते हैं, जिससे ECI में पृष्ठभूमिता विषेषज्ञता की विधिता सीमति हो सकती है।
- समतुल्यता की कमी से संबंधित चतिएँ:
 - यह विधियक उस संवैधानिक उपबंध को बनाए रखता है जो CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही निषिकासन करने की अनुमति देता है, जबकि EC को केवल CEC की सफिरशी पर ही निषिकासन किया जा सकता है।
 - निषिकासन प्रक्रियाओं में समतुल्यता की कमी निषिक्षणता पर सवाल उठा सकती है।

चुनावी नियम के सदस्यों की नियुक्ति में वैश्वकि प्रथाएँ

- दक्षणि अफ्रीकी मॉडल:
 - दक्षणि अफ्रीका में, चयन प्रक्रिया में संवैधानिक न्यायालय के अध्यक्ष, मानवाधिकार न्यायालय के प्रतिनिधि और लैंगिक समानता के समर्थक जैसे प्रमुख व्यक्तिशामिल होते हैं।

- विधि प्रतिनिधित्व पर जोर चुनावी निकाय में व्यापक प्रपरेक्ष्य सुनिश्चित करता है।
- यूनाइटेड कंगडम दृष्टिकोण:
 - यूनाइटेड कंगडम में, चुनावी निकाय के उम्मीदवार हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अनुमोदन के अधीन हैं।
 - चयन प्रक्रया में विधायिका को शामल करने से इसे जाँच और जवाबदेही का अतिरिक्त स्तर मिलता है।
- संयुक्त राज्य प्रक्रया:
 - अमेरिका में, राष्ट्रपति चुनावी निकाय में सदस्यों की नियुक्ति करता है, और नियुक्तियों के लिये सीनेट द्वारा पुष्टि की आवश्यकता होती है।
 - दोहरी जाँच प्रणाली शक्ति सिंतुलन सुनिश्चित करती है और एकतरफा नियन्त्रण को रोकती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

- भारत का चुनाव आयोग पाँच सदस्यीय निकाय है।
- संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
- नियाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवाद निपटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2
- केवल 2 और 3
- केवल 3

उत्तर: (d)

प्रश्न:

प्रश्न. भारत में लोकतंत्र की गुणता बढ़ाने के लिये भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे कसि सीमा तक महत्वपूर्ण हैं? (2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/the-cec-and-other-ecs-appointment,-conditions-of-service-and-term-of-office-bill,-2023>